

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

16 मार्च, 2016 (ई०)

[पंचम-सत्र]

बुधवार, तिथि:-

26 फाल्गुन, 1937 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-14.03.2016 एवं 15.03.2016 से स्थगित)
- (05)- सर्वश्री बादल, बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016 से स्थगित)
- (06)- श्री प्रकाश राम एवं श्री अरुण चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री कुणाल षडंगी, नलिन सोरेन एवं श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ख्राद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016 से स्थगित)
- (08)- श्री योगेश्वर महतो, डॉ० जीतू चरण राम एवं श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016 से स्थगित)

- (09)- श्री स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10)- श्री जयप्रकाश वर्मा एवं श्री रामकुमार पाहन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11)- सर्वश्री शिवशंकर उराँव,ताला मराण्डी एवं श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (12)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (13)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (14)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी-कार्य :-

मजदूरी भुगतान (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2016

- (15)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि "मजदूरी भुगतान (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (16)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (17)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि "मजदूरी भुगतान (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (18)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि "मजदूरी भुगतान (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक,2016

- (19)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन)विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (20)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री,अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(21)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन)विधेयक, 2016" पर विचार हो।

(22)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन)विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक,2016

(23)- पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक,2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(24)- पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(25)- पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक,2016"पर विचार हो।

(26)- पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक,2016" स्वीकृत हो।

गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक,2016

(27)- मुख्यमंत्री,श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(28)- मुख्यमंत्री,श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(29)- मुख्यमंत्री,श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।

(30)- मुख्यमंत्री,श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

(31)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ०पृ०३०/-

(04)

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२२६/वि०स०,राँची,दिनांक-...१५...मार्च,२०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव,झारखण्ड सरकार,राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज
१५/३/२०१६

(सरोज कुमार)

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२२६/वि०स०,राँची,दिनांक-...१५...मार्च,२०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय
कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ
प्रेषित।

सरोज
१५/३/२०१६

(सरोज कुमार)

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२२६/वि०स०,राँची,दिनांक-...१५...मार्च,२०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज
१५/३/२०१६

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सरोज
१५/३/२०१६